



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम ( अलवर )

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.
३४ ४	<p>पत्रावली प्रेषित हुई ( प्राथमिकता का हुकम को कार्यवाही में उपलब्ध नहीं। बार-२ सावधानी करवाई गई। कोई उपलब्ध नहीं। (इलाक़े का प्राथमिकता का प्राथमिकता पर सक्षम दृष्टि) व सक्षम प्रस्ताव में स्वाक्षर/लिखा जाता है। प्रत्येक केस का शुभारंभ होकर गैर-सक्षम से करण के लिए बार-बार लंबाई का है।</p> <p style="text-align: center;"></p>